धोये जाते थे। तो क्या सरकार उस पद्धति को लागू करना चाहती है कि वहां स्नान के लिये गंगा का पानी ले जाया जाये ? दूसरा, मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि यह देखा जाता है कि हिन्दुओं, मुसलमानों या क्रिश्चियनों और जितने भी पुराने रिलीजन हिन्दुस्तान में है जैसे अभी कुछ साल पहले काश्मीर में मुसलमानों के हजरत मुहम्मद के बाल चोरी चले गये थे, उनकी चोरी हुई थी, लाखों बुद्धिस्ट-मूर्तियां बोध गया से और खासकर गया के आस-पास या सारनाथ से चुरा कर इन्टरनेशनल मार्केट में लोग ले जाते हैं, इसी तरह से हिन्दुओं के जो शिव स्थान हैं जहां उनकी मूर्तियां रखी हुई हैं, जहां तरह-तरह की विष्णु और इसी तरह दूसरे देवी-देवताओं की मूर्तियां है, उनको चुराकर बाहर के मुल्कों में ले जाते हैं जहां बहुत अधिक दामों पर उनकी बिक्री होती है, तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह जो हम लोग इस देश के सभी रहने वाले धर्मावलंबियों के देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं, उनके धर्म स्थानों से चुराकर और उनकी तस्करी कर विदेशी मार्केट में जो ऊंचे दामों पर बेचा जाता है, इसको रोकने के लिए और ऐसे धार्मिक स्थानों पर जो देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं उनकी रक्षा के लिये क्या सरकार कोई विशेष योजना बना रही है ताकि इसकी रोकथाम हो ? हालांकि मैं विश्वास नहीं करता इस बात के लिये लेकिन फिर भी मैं लोगों के सेन्टीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई योजना है ताकि इस विशाल पैमाने पर धार्मिक स्थानों से मूर्तियों की चोरी न हो। इस मामले में तस्करों को रोकने के लिये आपके पास क्या कोई योजना है और इस सम्बन्ध में आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मान्यवर, जो सवाल पूछा गया है कि गंगा के पानी से मंदिरों को धोयेंगे तो हमें यह जानकारी नहीं है कि कैसे दक्षिण भारत में जहां कि बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों को गंगा के पानी से धोया जा सकता है। इसके लिये, पानी ले जाने के लिये तो एयर बस की जरूरत होगी।

दूसरा जो सवाल है उनके लिये कहना चाहता हूं कि चोरी जो होती है उसको रोकने के लिये आरकालोजीकल सर्वे आफ इंडिया कदम उठा रहा है और जो अन्य प्रश्न और मंत्रालयों के साथ जुड़े हुए हैं जैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात, उनके साथ मिलकर इसे भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Registration of insecticides/pesticides under the Insecticides Act, 1968

*401. SHRIMATI PRATIMA BOSE:
SHRI T. BASHEER:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that those units which have been issued Registration Certificates by the Central Insecticides Board, have not been registered for allocation of insecticides/pesticides by the Director of Industries; and

(b) whether his Ministry have taken up the matter with the Ministry of Industry, if so, with what results?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) and (b) The position is indicated below;

The Registration Committee under the Insecticides Act^ 1%8 registers pesticides for basic manufacture as well as formulation, after satisfying itself about their bio-efficacy, shelf life and safety to human beings and